समक्ष शमशेर बहादुर माननीय न्यायमूर्ति

शिब धन और अन्य -याचिकाकर्ता

बनाम

अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी जमुना नहर, रोहतक और अन्य -प्रतिवादी,

1967 की सिविल रिट संख्या 711

29 फ़रवरी 1967

*उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का VIII)—धारा 30-ए(1), 30-बी(3) और 30-सी - संभागीय नहर अधिकारी द्वारा योजना का प्रारूप तैयार करना - अधीनस्थों से प्राप्त सहायता - चाहे अनियमित - अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा योजना के पुनरीक्षण की शक्ति - चाहे सीमित हो किसी विशेष संरेखण में परिवर्तन के लिए - योजना में प्रभावी संशोधन - क्या फिर से प्रकाशित किया जाना चाहिए।*

*अभिनिर्धारित कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-ए की उप-धारा (1) के अनुसार प्रभागीय नहर अधिकारी को एक मसौदा योजना तैयार करनी होगी। इसमें उस सहायता को शामिल नहीं किया गया है जो वह किसी अधीनस्थ पदाधिकारी से प्राप्त कर सकता है। यह आपत्ति कि योजना प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा नहीं बनाई गई थी क्योंकि उनके अधीनस्थों से कुछ सहायता प्राप्त की गई थी, कायम नहीं रखी जा सकती। ऐसी प्रक्रिया अधिनियम की धारा 30-ए की उप-धारा (1) की आवश्यकता का उल्लंघन नहीं है।*

*अभिनिर्धारित कि अधिनियम की धारा 30-ए (1) का खंड (ए) प्रभागीय नहर अधिकारी को किसी भी जलमार्ग के निर्माण, परिवर्तन, विस्तार और संरेखण या किसी भी मौजूदा जलमार्ग के पुनर्संरेखण के संबंध में एक योजना तैयार करने के लिए स्वतंत्र हाथ देता है। धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के तहत अधीक्षण नहर अधिकारी किसी योजना को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे शब्दों में, अधीक्षण नहर अधिकारी किसी भी जलमार्ग के निर्माण, परिवर्तन, विस्तार और संरेखण को बदल सकता है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि "संशोधन" शब्द को प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा प्रस्तावित विशेष संरेखण में परिवर्तन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। यदि कानून*

*का यही इरादा होता, तो अधीक्षण नहर अधिकारी को केवल प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपी गई योजना की पुष्टि करने के लिए अधिकृत किया जाता, "संशोधन" शब्द केवल योजना पुष्टि की तुलना में बहुत व्यापक और व्यापक है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि अधीक्षण नहर अधिकारी या तो योजना को अस्वीकार कर सकता है या इसकी पुष्टि कर सकता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है।*

*अभिनिर्धारित कि केवल यह परिकल्पना की गई है कि अधिनियम की धारा 30-ए के तहत योजना को विधिवत प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा योजना में अधिनियम की धारा 30-सी के प्रावधानों के तहत हर संशोधन प्रभावी हो और पुन: प्रकाशन कराया जाये।*

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी क्रमांक 1, दिनांक 25 फरवरी, 1967 (कॉपी अनुलग्नक 'डी') और प्रतिवादी संख्या 2, दिनांक 20 दिसंबर 1966 (कॉपी अनुलग्नक 'बी') के आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।*

**याचिकाकर्ता के वकील आरएस मित्तल।**

**महाधिवक्ता के वकील जेसी वर्मा और प्रतिवादी 3 और 4 के वकील बीएस मलिक।**

## निर्णय

**शमशेर बहादुर,** न्यायमूर्ति **- संविधान के** अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका में , शिब धन और 9 अन्य अधिकार धारकों ने 21 मार्च, 1967 को उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार रखने वाले अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा उनके अभ्यास में पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता, जो मंधना, तहसील हांसी के निवासी हैं, चाहते थे कि उसी गांव के क्रमशः राम चंद और तारा चंद, उत्तरदाताओं 3 और 4 के साथ दुश्मनी के कारण उनके खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए कुछ अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि उनके और उत्तरदाताओं 3 और 4 के खेतों

को आरडी 26660-आर के रूप में वर्णित एक ही वितरिका द्वारा सेवा मिलती रहे। आरडी 28125-आर के रूप में वर्णित एक और वितरिका थी और याचिकाकर्ता चाहते थे कि उनके खेतों को इस चैनल के माध्यम से आपूर्ति की जानी चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों के तहत संभागीय नहर अधिकारी द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों 3 और 4 को आरडी 26660 आर से उनके खेतों के लिए पानी मिलना था। पुनरीक्षण में, अधीक्षण नहर अधिकारी ने याचिका के साथ दायर योजना में वर्णित बिंदु "सी" से वितरण नदी आरडी 28125-आर के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए उन्हें प्रस्तुत की गई योजना को संशोधित किया। बिंदु "सी" से चैनल को याचिकाकर्ता सहित विभिन्न अधिकार-धारकों के क्षेत्रों की सेवा के लिए कुछ हद तक घुमावदार मार्ग लेना था।

इन कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं ने अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है। सबसे पहले याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री मित्तल ने तर्क दिया कि प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत योजना वास्तव में विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों से उत्पन्न हुई थी और यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। धारा 30ए के तहत यह प्रभागीय नहर अधिकारी है, जो "अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी शेयरधारक के आवेदन पर, सभी या किसी भी मामले के लिए एक मसौदा योजना तैयार कर सकता है, अर्थात्: -

"(a) किसी भी जलधारा का निर्माण, परिवर्तन, विस्तार और संरेखण या किसी मौजूदा जलधारा का पुनर्संरेखण;

(b) एक जलधारा द्वारा दूसरे जलधारा को प्रदान किये गये क्षेत्रों का पुनः आबंटन;

(c)* * * * * ___________________

(cc) * * * * * ___________________

(d) कोई अन्य मामला जो जल-धारा से पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक है।"

उल्लेखनीय है कि 1965 के पंजाब अधिनियम संख्या 23 में "उप-विभागीय नहर अधिकारी" के स्थान पर नहर अधिकारी को प्रतिस्थापित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि इस मसौदा योजना के दूसरे पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया है कि "मामले की जांच जिलेदार बापोरा के माध्यम से उप-विभागीय अधिकारी, सुंदर से कराई जा सकती है", और मुझसे यह निष्कर्ष निकालने के लिए कहा है कि उप-विभागीय योजना प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी ने नहीं बल्कि अधिकारी ने बनायी थी। अब, धारा 30-ए की उप-धारा (1) के लिए आवश्यक है कि प्रभागीय नहर अधिकारी को एक मसौदा योजना तैयार करनी होगी। इसमें उस सहायता को शामिल नहीं किया गया है जो वह किसी अधीनस्थ पदाधिकारी से प्राप्त कर सकता है। यह योजना संभागीय नहर अधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन है और अनुबंध "बी" में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह आपत्ति कि योजना प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गई थी क्योंकि उनके अधीनस्थों से कुछ सहायता प्राप्त की गई थी,

कायम नहीं रखी जा सकती, ऐसी प्रक्रिया अधिनियम की धारा 30-ए की उप-धारा (1) की आवश्यकता का उल्लंघन नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की अगली आपत्ति यह है कि अधीक्षण नहर अधिकारी दूसरा संरेखण करने के लिए स्वतंत्र नहीं है जैसा कि उसने विवादित आदेश में किया था। धारा 30-बी की उप-धारा (3) कहती है कि "अधीक्षण नहर अधिकारी किसी भी समय या प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुमोदित योजना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर *स्वतः संज्ञान ले* सकता है ।" धारा, 30-सी के तहत योजना का विवरण, प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को संशोधित करता है।" यह विवादित नहीं है कि योजना धारा 30-सी के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई थी। जिस बात पर आपत्ति की गई है वह यह है कि अधीक्षण नहर अधिकारी संरेखण को बदलने के लिए योजना में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 30-ए (1) का खंड (ए) प्रभागीय नहर अधिकारी को किसी भी जलमार्ग के निर्माण, परिवर्तन, विस्तार और संरेखण या किसी भी मौजूदा जलमार्ग के पुनर्संरेखण के संबंध में एक योजना तैयार करने के लिए स्वतंत्र हाथ देता है। यह योजना खंड (ए) के दायरे में आती है जिसका संबंध "किसी भी जलमार्ग के निर्माण, परिवर्तन विस्तार और संरेखण या किसी मौजूदा जलमार्ग के पुनर्संरेखण" से है। धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के तहत अधीक्षण नहर अधिकारी किसी योजना को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे शब्दों में, अधीक्षण नहर अधिकारी किसी भी जलमार्ग के निर्माण परिवर्तन, विस्तार और संरेखण का मौका दे सकता है। इससे अधिक उनकी ओर से कुछ नहीं किया गया है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि "संशोधन" शब्द को प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा प्रस्तावित विशेष संरेखण में परिवर्तन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। यदि कानून का यही इरादा होता, तो अधीक्षण नहर अधिकारी को केवल प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपी गई योजना की पुष्टि करने के लिए अधिकृत किया जाता। मेरी राय में, "संशोधन" शब्द केवल योजना की पुष्टि की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि अधीक्षण नहर अधिकारी या तो योजना को अस्वीकार कर सकता है या इसकी पुष्टि कर सकता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है।

अंत में, श्री मित्तल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा प्रस्तावित नया संरेखण याचिकाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। याचिका के पैराग्राफ 16 का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि "प्रस्तावित पुनर्संरेखण पत्र YZL द्वारा दर्शाई गई प्रस्तावित पुनर्संरेखण की लंबाई के बीच लगभग 12 फीट की गहराई के एक गड्ढे से होकर गुजरता है और इस अवसाद के माध्यम से कोई भी पानी लेना असंभव है।" याचिकाकर्ताओं की भूमि पर हजारों रुपये का पर्याप्त खर्च आया।" इस आरोप के जवाब में राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में कहा गया है कि आउटलेट के संबंधित शेयर धारकों की आपत्तियों और सुझावों को सुनने और जलमार्ग के संरेखण में कठिनाइयों को समझाने के हर अवसर के बाद याचिकाकर्ताओं को दिया गया आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। मेरी राय में, अधीक्षण नहर अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह याचिकाकर्ताओं को, जो सुनवाई के समय उनके सामने उपस्थित थे, यह समझाएं कि वह क्या कर रहे थे और आगे की आपत्तियों को आमंत्रित करें। जो कुछ परिकल्पना की गई है वह यह है कि धारा 30-

ए के तहत योजना को विधिवत प्रकाशित किया जाना चाहिए और यह स्वीकार्य रूप से किया गया था। यह आवश्यक नहीं है कि अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा योजना में किये गये प्रत्येक संशोधन को धारा 30-सी के प्रावधानों के तहत पुनः प्रकाशित किया जाये। याचिकाकर्ताओं का अधीक्षण नहर अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समय उपस्थित होना यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं जो अब याचिका के पैराग्राफ 15 की विषय-वस्तु हैं। किसी भी दर पर, इन आपत्तियों पर अब रिट कार्यवाही के चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।

मेरी राय में, यह याचिका बलहीन है और इसलिए इसे जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

*सचिन कुमार सिंह*
*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*
*(Trainee Judicial Officer)*
*नूँह, हरियाणा*